2025:CGHC:18248

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 648/2018

अभिषेक राज पिता श्री राजेंद्र कुमार आठवानी, आयु लगभग 25 वर्ष,वास्तविक निवासी– वार्ड क्रमांक 21, तिरहुत कॉलोनी, मधुबनी थानाः मधुबनी बिहार, वर्तमान में आशीष पाठक के घर अनंत विहार कॉलोनी, पंडरी थाना पंडरी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य ,द्वाराःथाना पंडरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र नाथ नन्दे, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री ऋषभ सिंह देव, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री अरविन्द कुमार वर्मा, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

22/04/2025

1. यह दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.') की धारा 374(2) के अधीन सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 77/2017 में दिनांक 10.04.2018 को पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को निम्नानुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है:–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 04 के अधीन	07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के संदाय के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 16.02.2017 को जब पीड़िता अभियुक्त अपीलार्थी के घर में लुका–छिपी खेल रही थी, उसी समय अभियुक्त अपीलार्थी उसे एक कमरे में लेगया,

उसके अन्तर्वस्त्र उतार दिए और उसके गुप्तांगों क चूमने और चाटने लगा। जिस पर पीड़िता भाग गई और अपने माता–पिता को सारी बात बताई। तत्पश्चात, पीड़िता की लिखित रिपोर्ट पर, अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(झ)(ञ) और पोक्सो अधिनियम की धारा 07 और 08 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

3. अन्वेषण के दौरान, पीड़िता का कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पीड़िता और साक्षियों के कथन दर्ज किए गए और उनके कथनानुसार जब्ती की कार्यवाही की गई। अभियुक्त को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक अन्वेषण के उपरांत, अपीलार्थी के के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. वर्तमान प्रकरण में शामिल तथ्यों और परिस्थितियों और संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और जब उसे आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए गए, तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. धारा–313 (1–ख) के अधीन अभियुक्त के परीक्षण के दौरान, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, अभियुक्त ने अभियोजन द्वारा अधिरोपित आरोपों को अस्वीकार किया और कथन किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है और उमेश कुमार राजदेव और श्रीमती दृष्टि राज को बचाव साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित किए और उन्हें पढ़कर सुनाया और समझाया अभियुक्त ने अपने अपराध को अस्वीकार किया। अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन ने 11 साक्षियों का परीक्षण कराया ।

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को विवेचना की और यह विचार करते हुए कि अपीलार्थी ने ही उपरोक्त अपराध कारित किया है, उसे प्रथम पैरा में उल्लिखित अनुसार सिद्धदोष व दण्डित किया, जिसके विरुद्ध अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 374(2) के अधीन यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक

18.02.2017 को दर्ज की गई थी और कथित घटना दिनांक 16.02.2017 को शाम 7:30 बजे हुई थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री अ.सा.–07 के पिता ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वह एक सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं जिसमें 100 से 125 व्यक्ति सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं और उक्त सुरक्षा एजेंसी पंडरी थाना के क्षेत्रीय अधिकारिता में आती है और उन्हें सुरक्षा गार्डों के सत्यापन के लिए थाना जाना पड़ता है। इसलिए अभियोजन की कहानी की सत्यता अत्यंत अनधि संभाव्य है। उन्होंने आगे तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभासों और लोपों पर विचार नहीं किया है, जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण मनगढ़ंत है। जब अपीलार्थी ने शासकीय सेवा में भर्ती हेतु शिकायतकर्ता को दिए गए अपने पैसे वापस मांगे तो शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अंततः तर्क किया कि ऐसी परिस्थितियों में, अपील स्वीकार किए जाने और आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उचित रूप से सिद्धदोष व दण्डित किया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

11. अभियोक्त्री की माँ का अ.सा.–8 के रूप में परीक्षण कराया गया है और उसने कथन किया है कि पीड़िता उसकी पुत्री है। उसकी पुत्री/पीड़िता की जन्म तिथि 04.06.2010 है और वह लगभग सात वर्ष की है। घटना दिनांक 16.02.2017 की है। घटना के दिन, उसकी पुत्री और उसका पुत्र, अभियुक्त अपीलार्थी के घर में उसके पुत्र के साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद पीड़िता/पुत्री रोती हुई उसके पास आई, जिस पर उसने पूछा कि क्या हुआ और उसके बाद उसने बताया कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उसे पकड़ लिया और उसने देखा कि उसकी पुत्री का अंडरवियर नीचे था। पीड़िता ने बताया कि जब वह खेल रही थी, तब अभियुक्त अपीलार्थी उसे कमरे के भीतर ले गया और उसका अंडरवियर उतार दिया। इसके बाद उसने उसकी पुत्री के गुप्तांगों को चूमना और चाटना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपना लिंग उसकी पुत्री के मुँह में प्रवेश कराने का भी प्रयत्न किया। यद्यपि, कुछ देर बाद जब पीड़िता के भाई को उसकी बहन नहीं मिली, तो उसने उसका नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया, तब उसकी पुत्री वहाँ से भागी और उसे सारी बात बताई।

12. पीड़िता से अ.सा.–9 के रूप में परीक्षण कराया गया और यह पूछे जाने पर कि कंडक्टर ने उसके साथ क्या किया, उसने जवाब दिया कि जब वह और उसका भाई अपीलार्थी के घर में खेल रहे थे, तो अपीलार्थी आया और कहा कि वह उन सभी के साथ खेलेगा। इसके बाद अपीलार्थी उसे कमरे के भीतर ले गया और उसके गुप्तांगों को चूमने और चाटने लगा। अपीलार्थी ने अपना लिंग उसके मुँह में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया । उसने बताया कि जब उसके भाई ने वह कमरा खोला जिसमें अपीलार्थी उसे ले गया था, तो अपीलार्थी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद वह अपने घर की ओर भागी और उसका अंडरवियर घुटनों से थोड़ा नीचे था। उसने यह भी बताया कि उसे डर था कि अपीलार्थी उसे फिर से पकड़ लेगा और इसलिए उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसके भाई ने उसकी माँ को अपीलार्थी द्वारा पकड़े जाने के बारे में बताया, तो वह रोने लगी और सब कुछ बता दिया।

13. पीड़िता के पिता से अ.सा.–7 के रूप में परीक्षण कराया गया है। उन्होंने बताया है कि पीड़िता उनकी पुत्री है। उनकी पुत्री/पीड़िता की जन्मतिथि 04.07.2010 है। वर्तमान में उनकी पुत्री/पीड़िता 7 वर्ष की है। घटना के दिन, वह किसी काम से उरला में थे और जब वह शाम को वापस आए तो उनकी पुत्री उनके पास आई और रोने लगी और कहा कि अभियुक्त अपीलार्थी बुरे चाचा है, उसने उसे पकड़ लिया और अपना लिंग उसके मुँह में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में पुष्टि की और अगले ही दिन उन्होंने अपनी पुत्री के साथ मिलकर मकान मालिक को यह सब बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. डॉ. पी. महेश्वर, अ.सा.–10, जिन्होंने अभियोक्त्री का परीक्षण किया, ने बताया कि वह जनवरी, 2015 से जिला अस्पताल रायपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 18.02.2017 को, लगभग 06 वर्ष की पीड़िता को पुलिस आरक्षक द्वारा चिकित्सा परीक्षण हेतु लाया गया था। जब उन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि उसे कोई बाह्य चोट नहीं थी। उसके गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं थी। शरीर के गुप्तांगों पर कोई रक्तस्राव या स्राव नहीं पाया गया। साथ ही, उस पर लैंगिक हमले का कोई बल भी नहीं देखा गया।

15. आक्षेपित निर्णय और उपरोक्त साक्षियों के कथनों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता की आयु के संबंध में कोई विवाद नहीं है और पीड़िता की जन्मतिथि 04.06.2010 है, जो अभिलेखों में विधिवत साबित हो चुकी है और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि विद्यालयीन अभिलेखों के आधार पर पीड़िता की आयु लगभग 7 वर्ष थी और उक्त तथ्य पर अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया गया है, अतः अभियोक्त्री की आयु के पहलू में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

16. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय दोषसिद्धि का आधार किसी बाल पीड़ित का अभिसाक्ष्य हो सकता है, परंतु वह विश्वसनीय और सत्य हो। अभिलेख पर संपुष्टि अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह विवेक का

नियम है। बाल पीड़ित के साक्ष्य का अवलंब लेते समय न्यायालय को जो सावधानी विचार में रखना चाहिए, वह यह है कि साक्षी विश्वसनीय, सुसंगत होना चाहिए और उसके किसी प्रकार के दबाव में होने या किसी के बहकावे में आने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। प्रस्तुत विवरण अकाट्य, विश्वसनीय और उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए, जो अपीलार्थी को एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि में सक्षम हो।

17. जब किसी व्यक्ति पर पोक्सो अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग के दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो पीड़िता की आयु ऐसे आरोप को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक होती है। और अपराध की गंभीरता तब परिवर्तित हो जाती है जब बालक 18 वर्ष से कम, 12 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक का हो। पोक्सो अधिनियम की धारा 2(घ) "बालकों" को अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है।

18. पोक्सो अधिनियम की धारा 29 में प्रावधान है कि न्यायालय यह उपधारण लेगा कि अभियुक्त ने वह अपराध कारित किया है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। यद्यपि, यह उपधारणा तभी लागू होगा जब अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के संदर्भ में मूलभूत तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दे। अभियोजन द्वारा मूलभूत तथ्य स्थापित करने के पश्चात, अभियुक्त के विरुद्ध लगाई गई उपधारणा को अभियोजन के साक्षियों से प्रतिपरीक्षण कराके और अभियोजन के कथन में कमियों या घटना की असंभाव्यता को प्रदर्शित करके या बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करके खंडित किया जा सकता है ताकि संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर धारणा का खंडन किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. यह विचार में रखना होगा कि "बच्चें हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की आशा उन पर टिकी है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे देश में, बालिकाएँ बहुत ही असुरक्षित स्थिति में हैं। उनके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें लैंगिक हमले और/या लैंगिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारे विचार में, इस प्रकार से बालकों का शोषण मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है।"

20. अतः बालकों और विशेष रूप से बालिकाएँ पूर्ण सुरक्षा की हकदार हैं और उन्हें अधिक देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण क्षेत्र। जैसा कि इस न्यायालय ने **राजस्थान राज्य विरुद्ध ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745** के प्रकरण में अवधारित व अभिनिर्धारित किया है, बालकों को विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है और ऐसे प्रकरणों में, न्यायालयों के कंधों पर इन बालकों को उचित विधिक सुरक्षा प्रदान करने की दायित्व अधिक दुर्भर है। **निपुण सक्सेना विरुद्ध भारत संघ, (2019) 2 एससीसी 703** के प्रकरण में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि

लैंगिक शोषण का शिकार होने वाले अवयस्क को वयस्क पीड़ित से भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वयस्क पीड़ित वयस्क होने के बावजूद समाज द्वारा किए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न को सहन कर सकता है, परंतु अवयस्क पीड़ित के लिए ऐसा करना कठिन होगा। अवयस्क पीड़ितों के विरुद्ध अधिकांश अपराधों की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है क्योंकि प्रायः अपराध कारित करने वाला पीड़ित के परिवार का सदस्य या करीबी मित्र होता है। अतः, बालकों को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः पोक्सो अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध कारित करने वाले अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है, विशेषतया तब जब यह न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्यों से साबित हो जाए।

21. पीड़िता (अ.सा.–9) के कथनानुसार, उसने व्यक्त किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को जानती है। जब वह अपने भाई और उसके पुत्र के साथ खेल रही थी तब अभियुक्त व्यक्ति उसे उस कमरे के भीतर ले गया। उसने उसके गुप्तांगों को चूमा और चाटा और अपना लिंग उसके मुँह में प्रवेश कराने का प्रयत्न किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, विशेष रूप से पीड़िता (अ.सा.–9) के साक्ष्यों, जिन्होंने अपीलार्थी के कृत्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, उसकी माँ (अ.सा.–8) और उसके पिता (अ.सा.–7) के साक्ष्यों और चिकित्सा अधिकारी डॉ. अ.सा.–8 के कथन, जिन्होंने पीड़िता का परीक्षण किया है, को विचार में रखते हुए, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य और उसके विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि अभियुक्त उसे कमरे के भीतर ले गया और उस पर लैंगिक हमला करने का प्रयत्न किया, इसलिए, अभियोजन यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि घटना की तिथि को पीड़िता अवयस्क थी, अर्थात 12 वर्ष से कम आयु की थी, अर्थात 07 वर्ष और अभियुक्त ने उक्त तिथि, समय और स्थान पर उस पर हमला करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध अपना प्रकरण समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को यथावत रखा जाता है। वर्तमान अपील सारहीन है एवं तदनुसार **खारिज** की जाती है।

23. अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी जेल में निरुद्ध है। उसे विचारण न्यायालय के आदेशानुसार दण्ड भुगतना होगा।

24. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए, जहाँ अपीलार्थी अपना दण्ड भुगत रहा है ताकि अपीलार्थी पर इसकी तामिली की जा सके और उसे सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय

विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

25. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि एवं मूल अभिलेख आवश्यक जानकारी एवं अनुपालनार्थ संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur